रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265463
CG-DL-E-18082025-265463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3628]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 3628]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3720(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-163G के कि.मी. 220.480 से कि.मी.250.400 (खम्मम), NH-163G तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् खम्मम **,रैभनू डिभिशनल् औफसर्** को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में एनएच-163जी पर किमी 220.48 से किमी 250.400 (खम्मम) तक के भूमि खंड में संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: खम्मम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रघुनाधापलेम					
गांव का नाम: व् .वेंकटायपालेम					
1	246	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	490 (वर्ग मीटर)	0.049
2	248	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1285 (वर्ग मीटर)	0.1285
3	251	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	20 (वर्ग मीटर)	0.002
4	251	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1508 (वर्ग मीटर)	0.1508
5	252	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1047 (वर्ग मीटर)	0.1047
6	252	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1720 (वर्ग मीटर)	0.172
7	253	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1235 (वर्ग मीटर)	0.1235
8	254	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	740 (वर्ग मीटर)	0.074
9	255	निजी	ड्राय	741 (वर्ग मीटर)	0.0741
10	255	निजी	ड्राय	7386 (वर्ग मीटर)	0.7386
11	257	निजी	ड्राय	4206 (वर्ग मीटर)	0.4206
12	272	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	85 (वर्ग मीटर)	0.0085
13	272	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1297 (वर्ग मीटर)	0.1297
14	रोड	सरकारी (रोड)	ड्राय	125 (वर्ग मीटर)	0.0125
तालुक का नाम: चिंतकनी					
गांव का नाम: वन्दनम					
15	101	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	1011 (वर्ग मीटर)	0.1011
16	105	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	776 (वर्ग मीटर)	0.0776
17	109	निजी (पट्टा)	ड्राय	397 (वर्ग मीटर)	0.0397

18	72	निजी (प्लॉट्स)	ड्राय	792 (वर्ग मीटर)	0.0792
19	75	निजी (पट्टा)	ड्राय	47 (वर्ग मीटर)	0.0047
20	78	निजी (पट्टा)	ड्राय	279 (वर्ग मीटर)	0.0279
21	79	निजी (पट्टा)	ड्राय	2306 (वर्ग मीटर)	0.2306
22	80	निजी (पट्टा)	ड्राय	1467 (वर्ग मीटर)	0.1467
				Total	**2.896**

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3720(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-163G in the stretch of land from Km. 220.48 to Km. 250.400 (Khammam), NH-163G in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer Khammam in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-163G in the stretch of land from Km. 220.48 to Km. 250.400 (Khammam) in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			**District: KHAMMAM**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Raghunadhapalem					
Village: V . Venkatayapalem					
1	246	Private (Plots)	Dry	490 (Square Meter)	0.049
2	248	Private (Plots)	Dry	1285 (Square Meter)	0.1285
3	251	Private (Plots)	Dry	20 (Square Meter)	0.002
4	251	Private (Plots)	Dry	1508 (Square Meter)	0.1508
5	252	Private (Plots)	Dry	1047 (Square Meter)	0.1047

6	252	Private (Plots)	Dry	1720 (Square Meter)	0.172
7	253	Private (Plots)	Dry	1235 (Square Meter)	0.1235
8	254	Private (Plots)	Dry	740 (Square Meter)	0.074
9	255	Private	Dry	741 (Square Meter)	0.0741
10	255	Private	Dry	7386 (Square Meter)	0.7386
11	257	Private	Dry	4206 (Square Meter)	0.4206
12	272	Private (Plots)	Dry	85 (Square Meter)	0.0085
13	272	Private (Plots)	Dry	1297 (Square Meter)	0.1297
14	Road	Government (Road)	Dry	125 (Square Meter)	0.0125
Taluk: Chinthakani					
Village: Vandanam					
15	101	Private (Plots)	Dry	1011 (Square Meter)	0.1011
16	105	Private (Plots)	Dry	776 (Square Meter)	0.0776
17	109	Private (Patta)	Dry	397 (Square Meter)	0.0397
18	72	Private (Plots)	Dry	792 (Square Meter)	0.0792
19	75	Private (Patta)	Dry	47 (Square Meter)	0.0047
20	78	Private (Patta)	Dry	279 (Square Meter)	0.0279
21	79	Private (Patta)	Dry	2306 (Square Meter)	0.2306
22	80	Private (Patta)	Dry	1467 (Square Meter)	0.1467
				Total	**2.896**

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.18 14:15:15 +05'30'